फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री जयवन्त भेरविया पिता श्री नरेन्द्र कुमार भेरविया नि. 29, महावीर नगर, न्यू भूपालपुरा, उदयपुर —अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 07/2022**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 08.02.2022 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा द्वारा जरिये क्रमांकः सू.अ. 05/2021/03 दिनांक 07.02.2022 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक क्रमांक :— सामान्य/सू.अ./2021/217 दिनांक 11.11.2021 से उपलब्ध करवा दी गई हैं। जिसके अनुसार वांछित सूचना/वाद में वादी अथवा प्रतिवादी किसी भी रूप में पक्षकार नही हैं। उक्त वाद का न्यायालय में निस्तारण अभी तक नही हुआ। अतः वाद निस्तारण से पूर्व आपको वाद में पक्षकार नही होने के कारण प्रतिलिपी नही दी जा सकती हैं। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा की रिपोर्टानुसार अपीलार्थी को जरिये पत्रांक क्रमांक :— सामान्य/सू.अ./2021/217/244 दिनांक 11.11.2021 से अपीलार्थी के पते पर सूचित किया गया कि वांछित सूचना/वाद में वादी अथवा प्रतिवादी किसी भी रूप में पक्षकार नही हैं। उक्त वाद का न्यायालय में निस्तारण अभी तक नही हुआ। अतः वाद निस्तारण से पूर्व आपको वाद में पक्षकार नही होने के कारण प्रतिलिपी नही दी जा सकती हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (ख) तथा धारा 8 (घ) के अनुसार नही दी जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में उक्त अपील खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर)राजसमन्द	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)